



PROUD TO BE INDIAN
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

BSL Ltd.

REGD. OFFICE: Post Box No. 16-17
Mandpam, Bhilwara - 311001 (Rajasthan) INDIA

Tel. : (91-1482) 245000

E-mail: accounts@bslsuitings.com, Website : www.bslltd.com

CIN : L24302RJ1970PLC002266



www.bslltd.com

REF: BSL/CS/2026-27

Dated: 17/07/2026

National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051 NSE Symbol: BSL	BSE Ltd Department of Corporate Services 25 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Kala Ghoda, Fort, Mumbai, Maharashtra 400 001 BSE Scrip Code: 514045
---	---

Subject: Submission of Newspaper Publication - Notice of 55th Annual General Meeting

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding notice of 55th Annual General Meeting published on 16th July, 2026 in "Dainik Navjyoti" in Hindi language and "Financial Express" in English language on 17th July, 2026.

The Public Notice is also available on the Company's website www.bslltd.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully
For **BSL Limited**

(Shubham Jain)
Company Secretary
ACS-49973
Enc: a/a



इधर मर्ज, उधर मरीज



अजमेर रेल मंडल चिकित्सालय के नजदीक लगा कचरे का पहाड़। जबकि पास ही मरीज भर्ती भी रहते हैं।

-नवज्योति

एडीए के शहरी सेवा शिविर का समापन

दोहरे धमाके से चमकाई साख : 4 हजार से अधिक मामले निपटाकर 31 करोड़ भी कमाए

- ◆ 4011 फाइलों का निस्तारण
- ◆ 31 करोड़ का राजस्व
- ◆ 2 नई योजनाएं लॉन्च

कासं/अजमेर।

अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक महीने से अधिक समय तक चले शहरी सेवा शिविरों में न केवल आमजन की बरसों पुरानी उलझनों को सुलझाया, बल्कि रिकॉर्ड वित्तीय उपलब्धि भी हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश पर 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित इन विशेष शिविरों में एडीए ने कुल 4,011 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया, जिससे प्राधिकरण के खजाने में 31.06 करोड़ रुपए का भारी-भरकम राजस्व जमा हुआ। इस अभियान के दौरान जहां वषों पुराने विवाद सुलझे, वहीं शहर की दो नई परियोजनाओं और आधारभूत विकास के लिए बड़े भूखंडों की सौगात भी मिली।

15 गाड़िया लोहार परिवारों को मिला आशियाना

बरसों से अपनी खुश की जमीन का सपना संजोए बैठे घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू (गाड़िया लोहार) समुदाय के 15 परिवारों का इंतजार आखिरकार बुधवार को खत्म हो गया। कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते लंबे समय से रुकी हुई इस प्रक्रिया की कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए एडीए ने शिविर के अंतिम दिन इन परिवारों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपे। आयुक्त नित्या के. ने लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपने भूखंडों का सीमांकन कराने और पट्टा मिलते ही पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं।

न रिश्वत देंगे, न रिश्वत लेंगे का संकल्प दिलाया

एसीबी ने मनाया स्थापना दिवस, आमजन को भी जागरूक किया

कासं/अजमेर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर बुधवार को अजमेर में भी पुरानी आरोपीएससी स्थित एसीबी के डीआईजी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को भी जागरूक कर संकल्प दिलाया कि हून रिश्वत देंगे, न रिश्वत लेंगेह इस ध्ये से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

एसीबी अजमेर यूनिट के डीआईजी नारायण टोंगस ने बताया कि 15 जुलाई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान का स्थापना दिवस है। जिसे पूरे प्रदेश में एसीबी की टीम मनाती है। एसीबी अजमेर यूनिट के एडिशनल एसपी ने बताया कि इस मौके पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा आमजन को भी भ्रष्टाचार

के प्रति जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम में अजमेर एसीबी ऑफिस की सीआई कंचन भाटी व अन्य अधिकारियों सहित सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन-जागरूकता, ईमानदारी, पारदर्शिता तथा निष्पक्ष कार्यशैली बनाए रखने का संकल्प लिया। उपस्थित अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा जनसहभागिता के माध्यम से ही सुशासन एवं पारदर्शी प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान सभी ने हून रिश्वत देंगे, न रिश्वत लेंगेह का संकल्प दोहराते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई

एवं आमजन में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। इस मौके पर एसीबी स्टाफ ने ऑटो रिक्शा, टेम्पो, बसों व सरकारी कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पोस्टर को चस्पा किए हैं। इस दौरान एसीबी की टीम ने आसपास के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में भी जाकर लोगों को जागरूक किया। ग्रामीणों को भी समझाया कि वह जायज कार्य के लिए किसी भी लोकसेवक को रिश्वत न दें। अगर कोई उनके कार्य को कराने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है तो वह एसीबी की सूचना दें। वह एसीबी को कॉल कर 1064 या व्हाट्सअप नंबर 9413502834 पर भी सूचना दे सकते हैं। उनकी सूचना व नाम को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

542 वकीलों में से 230 ने जमा कराई चैंबर फीस

अब चैंबरों में फर्निशिंग का काम जोरों पर

कासं/अजमेर।

जिला अदालत के नए भवन में वकीलों को चैंबर आवंटन के बाद निर्धारित शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया में तेजी आई है। कुल 78 चैंबर आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 542 वकीलों में से करीब 230 ने शुल्क जमा कराया है। अब वकीलों ने अपने-अपने चैंबर को फर्निशिंग कराना शुरू किया है। जिला बार सचिव रूपेंद्र कुमार परिहार के अनुसार चैंबर में बैठने वाले प्रत्येक वकील को कम से कम 5 हजार रुपए जमा कराने के बाद प्रति माह साफ सफाई के लिए तीन सौ रुपए जिला बार को देने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक चैंबर के बिजली कनेक्शन के लिए मीटर लगाने की निर्धारित व्यवस्था की भी सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 42 और बुधवार को 188 वकीलों ने निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया है। इसके बाद अधिकांश वकीलों ने अपने-अपने चैंबर में कारपेंटर को बुलाकर फर्नीचर बनाने का काम सौंप दिया। अब अदालत परिसर में कारपेंटर, बिजली फिटिंग, फर्श फिनिशिंग, पंखे, कूलर व एसी लगाने वालों के अलावा कुर्सी, टेबल, वाटर कूलर, छोटे फ्रिज व अलमारियां उपलब्ध कराने वालों की आवाजही तेज हो गई है।

कुमार परिहार के अनुसार चैंबर में बैठने वाले प्रत्येक वकील को कम से कम 5 हजार रुपए जमा कराने के बाद प्रति माह साफ सफाई के लिए तीन सौ रुपए जिला बार को देने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक चैंबर के बिजली कनेक्शन के लिए मीटर लगाने की निर्धारित व्यवस्था की भी सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 42 और बुधवार को 188 वकीलों ने निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया है। इसके बाद अधिकांश वकीलों ने अपने-अपने चैंबर में कारपेंटर को बुलाकर फर्नीचर बनाने का काम सौंप दिया। अब अदालत परिसर में कारपेंटर, बिजली फिटिंग, फर्श फिनिशिंग, पंखे, कूलर व एसी लगाने वालों के अलावा कुर्सी, टेबल, वाटर कूलर, छोटे फ्रिज व अलमारियां उपलब्ध कराने वालों की आवाजही तेज हो गई है।

कासं/अजमेर। अपर सेशन न्यायाधीश संख्पा तीन नौरज गुप्ता ने मारपीट व देसी कट्टा से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के आरोपी वीरन्द्र मीणा, आशु लोहिया, हिमांशु सेना व रजत मीणा को संहार का लाभ देकर बरी कर दिया है। आरोपियों के विरुद्ध रामगं ध्याने में 17 मार्च 22 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत से साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों की पैरवी एडवोकेट एस.के. भार्गव, शेखर सेन, राजेन्द्र प्रसाद, यश रावत और राज कुमार रावत ने की।

उप कारापाल शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू

73 परीक्षार्थियों ने पहले दिन लिया भाग

अजमेर। जयपुर रोड घूघरा, अजमेर स्थित जेल ट्रेनिंग सेंटर में बुधवार से उप कारापाल शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई। पहले दिन हुई परीक्षा में 73 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा डीआईजी जेल राकेश मोहन शर्मा की अध्यक्षता में चल रही है। जेटीआई के प्राचार्य जगदीश पुनिया ने बताया कि उप कारापाल शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन की परीक्षा में 100 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। लेकिन उसमें से 73 परीक्षार्थी हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को डीजी जेल अशोक सिंह राठौड़ भी अजमेर आए थे और उप कारापाल शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को चैक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी देकर गए थे।

पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कर सुनी समस्याएं

कासं/अजमेर

अजमेर जिला पुलिस की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और सहयोग को प्राथमिकता देते हुए चलाए जा रहे वरिष्ठ जन संबल कार्यक्रम के तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक हर्ष वर्धन अगरवाला व अन्य अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं एवं सुझावों को गंभीरता पूर्वक सुना गया।

एसपी अगरवाला ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा प्रदान करना। उनसे नियमित संवाद स्थापित करना है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। इस दौरान कार्यक्रम के तहत एसपी अगरवाला लोहागल रोड स्थित अपना घर आश्रम पर गए। जबकि जिले में तैनात सीओ, थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मी ने अपने-अपने क्षेत्र में



वरिष्ठजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर अधिकारियों ने वरिष्ठजनों से मुलाकात

वरिष्ठजन संबल कार्यक्रम के तहत वरिष्ठजन, साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी

चौगुना लगेगा पार्किंग शुल्क, नहीं जंचे तो बाहर खड़ी करो गाड़ी !

जेएलएन अस्पताल में मनमानी पार्किंग शुल्क वसूली जारी, अधीक्षक से शिकायत

कासं/अजमेर।

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर विवादों में आ गई है। वाहन चालकों ने नए पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों पर भी निर्धारित शुल्क से चौगुनी राशि वसूलने का आरोप लगाया है।

लोगों का कहना है कि जहां दोपहिया वाहन का निर्धारित पार्किंग शुल्क 5 रुपए बताया गया है, वहीं उनसे 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग स्थल पर कहीं भी अधिकृत शुल्क सूची (रेट लिस्ट) प्रदर्शित नहीं की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को वास्तविक शुल्क की जानकारी ही नहीं मिल पा रही।

सूत्रों के अनुसार अस्पताल पहुंचे एक वाहन चालक से पार्किंग कर्मचारी ने 20 रुपए की मांग की। जब उसने निर्धारित शुल्क की रेट लिस्ट दिखाते को कहा तो कर्मचारी ने कथित तौर पर जवाब



दिया कि 'यही रेट है। नहीं जंचे तो गाड़ी बाहर खड़ी कर दो।' वाहन चालक ने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

इनका कहना है

इस उप अधीक्षक डॉ. अमित यादव ने कहा कि निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि वसूलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पहचान पत्र और वर्दी भी नहीं

वाहन चालकों का आरोप है कि पार्किंग में शुल्क वसूलने वाले अधिकांश कर्मचारियों के पास न तो पहचान पत्र (आईडी कार्ड) है और न ही कोई निर्धारित वर्दी। ऐसे में आम लोगों के लिए यह पहचाना मुश्किल हो जाता है कि शुल्क वसूलने वाला व्यक्ति अधिकृत कर्मचारी है या नहीं। इससे मनमानी वसूली की आशंका और बढ़ जाती है।

एक महीने के लिए मिला है ठेका

पूर्व में पार्किंग ठेकेदार की गंभीर शिकायतों के चलते अस्पताल प्रशासन ने ठेका रद्द कर दिया था। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक एक माह के लिए अस्थाई रूप से ठेका दिया गया है, लेकिन उस पर भी मरीजों एवं परिजन से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी

बुद्धाश्रम का निरीक्षण

अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर सेशन न्यायाधीश अंकित रमन ने कहा है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक, एवं संवेदनशील वातावरण उपलब्ध करवाना समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। वे मंगलवार को अपना घर आश्रम पुष्कर एवं जय अंबे सेवा समिति के बुद्धाश्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान

दोनों आश्रमों में अवासरत लोगों के लिए आवास, स्वच्छता, बिजली, पानी की उपलब्धता, मनोरंजन व चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा, भोजन, नाश्ता, दवा आदि की व्यवस्था की जानकारी ली। प्राधिकरण सचिव रमन ने आश्रम प्रबंधन को निर्देशित किया है कि परिसर में साफ-सफाई, पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, समय पर दवाओं की उपलब्धता तथा वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

बीएसएल लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L24302RJ1970PLC002266
पंजीकृत कार्यालय: पोस्ट बॉक्स नंबर 16-17, मंडपम, मीलवाड़ा-311 001 (राजस्थान)
फोन: +91-1482-245000, ई-मेल: accounts@bslsuitings.com,
वेबसाइट: www.bslltd.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली बीएसएल लिमिटेड की 55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बीएसएल लिमिटेड ("कंपनी") की 55वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 को 4:00 बजे अपराह्न (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत जारी नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और इस संबंध में तत्पश्चात् जारी परिपत्रों, जिनमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025 ("एमसीए परिपत्र") है, के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों (एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से "परिपत्र" के तौर पर संदर्भित) एवं इस संबंध में एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने तथा एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति से छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई है, के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पोस्ट बॉक्स नं. 16-17, मंडपम, जिला मीलवाड़ा - 311001, राजस्थान माना जाएगा।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि कंपनी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने में सक्षम बनाने हेतु नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य हेतु संगणित किया जाएगा।

सदस्य आगे भी ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल विस्तारण में, 55वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 की एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट अभिगमन हेतु वेबलिक तथा क्वआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेषस्थानों को भेजा जाएगा, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 से मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट देने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को "कट-ऑफ तिथि" के रूप में तय किया है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 (9:00 बजे पूर्वाह्न) (आईएसटी) से आरम्भ होगी और सोमवार, 31 अगस्त, 2026 (5:00 बजे अपराह्न) (आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सिस्टम उपलब्ध करेगी।

एजीएम हेतु ईमेल पता पंजीकृत करने का तरीका:

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपना ईमेल पता और बैंक खाता विवरण प्रदान करें। पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

भौतिक धारिता वाले शेषस्थान

शेषस्थानों को अपना ईमेल पता/मोबाइल नंबर/बैंक खाता विवरण एवं अन्य विवरण अद्यतानित करने हेतु फॉर्म ISR-1 एवं अन्य फॉर्म भरना होगा, अगर उन्होंने अभी तक अद्यतन नहीं किया है, और इसे पूर्णतः भरकर कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: बीएसएल लिमिटेड), 179-180, डीएसआईडीसी रोड, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर 011-41406149-52 पर भेजना होगा। उक्त फॉर्म को कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.bslltd.com से Investors शीर्षक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

डीमैट धारिता वाले शेषस्थान

क) कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने ईमेल पते/मोबाइल नंबर/पैन/बैंक खाता विवरण को, यदि वे आपके डीमैट खाते में अभी तक अद्यतानित नहीं हुए हैं, तो अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करें।

ख) यदि ईमेल पता/मोबाइल नंबर अद्यतानित है, परन्तु वर्तमान में आपने अपने डीमैट खाते में "ईमेल आरटीए डाउनलोड फ्लैग" को "नहीं" का विकल्प चुना है, तो आप अपने डीपी से ईमेल डाउनलोड फ्लैग "हो" करने हेतु संपर्क कर सकते हैं ताकि आप कम्पनी द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजे गए विभिन्न संचार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। अथवा आप अपने डीपी से अपने डीमैट खाते में आवश्यक अद्यतन करने का आग्रह कर सकते हैं ताकि भविष्य में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट/सूचना/विभिन्न संचार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त आप कम्पनी को bslagm@bslsuitings.com पर लिख सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <https://www.evoting.nsdl.com/> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु प्रीक्वेटली आरख्ड क्वेश्चन (एफएक्व) तथा एजीएम में भागीदारी एवं सदस्यों हेतु रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 पर कॉल करें। सदस्य कम्पनी को bslagm@bslsuitings.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम की सूचना में भी किया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.bslltd.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः तथा नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड <https://www.evoting.nsdl.com/> पर भी उपयुक्त समय पर उपलब्ध होगा। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ हेतु जारी की जा रही है और यह समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार

क्वेटे बीएसएल लिमिटेड

हस्ता/—

शुभम जैन

कम्पनी सचिव

एसीएस - 499773

DNA 404838

